ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 322-323

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

समाज में महिलाओं का शैक्षणिक परिदृश्य

रघुवंश कुमार सिन्हा
समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्व विद्यालय, बोधगया (बिहार), भारत

Received- 08.08.2020, Revised- 13.08.2020, Accepted - 15.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***अपना सर्वस्ण समर्पण करनेवाली महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिकाओं के संदर्भ में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त कीये जाते रहे हैं, परन्तु इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता कि महिलाएं ही समाजिक विकास की बुनियाद हैं, जिस घर, परिवार या समाज की बुनियाद मजवुत होगी, उस घर–परिवार का उतरोत्तर विकास होती जाएगा, प्राचीन समय में महिलाओं के संदर्भ में कहा जाता रहा हैं महिलाएँ समाज की मेरूदण्ड हैं।***

कुंजीभूत शब्द– सर्वस्ण समर्पण, सामाजिक प्रस्थिति, मेरूदण्ड, विचार व्यक्त,समाजिक विकास, बुनियाद ।

भारतीय संस्कृति का इतिहास काफि समृद्धशाली एवं गौरव पूर्ण रहा हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति के मुख्य धारा के तत्व, आत्मशुद्धि त्याग एवं तप आदि गुण भी पाये जाते हैं, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती हैं, वहा ईश्वर का वास होता हैं, संस्कृत में एक उक्ति है, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"। प्राचीन काल से ही समाज में नारी का सर्वोच्च स्थान रहा हैं, परन्तु समय–समय पर महिलाओं के संदर्भ में की गई टिप्पणीयाँ इतिहास को भी हल्का बना देती है, परिवर्तन का चक्र चलता गया जिससे परिवर्तन भी होता गया और नारी की स्थिति में सुधार एवं गिरावत होता रहा। बदलते परिवेश में नारी की प्रस्थिति में एवं उनके स्तीत्व में सुधार हुआ हैं,

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरूष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमजोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। शैक्षणिक दृष्टिकोण से महिलाओं के संदर्भ में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 65.46 फीसदी थी, जबकि पुरूष साक्षरता दर 82.14 फीसदी थी। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79. 7 प्रतिशत से काफि कम है।

महिलाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति– आजादी के बाद महिलाओं को शैक्षणिक रूप से शासका करने के लिए भारत में अनेक कार्यक्रर्म चलाए गये हैं। जनगणना आँकड़े यह बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (64. 46 प्रतिशत) देश की कुल साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी कम है। बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा कई लड़कियाँ रूढ़िवादी सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं। कई अध्ययनों के अनुसार, भारत में 15–24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोज़गारी दर 11.5 प्रतिशत है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरूषों के मामलें में यह 9. 8 प्रतिशत है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15–18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलु कार्यों में संलग्न होती हैं या पूर्णतः दूसरे पर निर्भर होती हैं, आँकड़ें यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं, जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिये आवश्यक है कि इतिहास में इसकी विकास यात्रा को भी समझा जाए। इसे मुख्यतः 3 भागों (1) प्राचीन वैदिक काल, (2) ब्रिटिश इंडिया और (3) स्वतंत्र भारत में विभाजित कर देखा जां सकता है।

वैदिक काल

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरूषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। वैदिक अवधारणा में स्त्री शक्ति सिद्धान्त के अनुसार, महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरू हुई–उदाहरण के लिये शिक्षा की देवी सरस्वती। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि "लड़कों के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।" वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना।

ब्रिटिश काल– इस काल में पहला ऑल–गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरूनेलवेली में स्थापित किया गया था। वर्ष 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित छह स्कूल मौजूद थे जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था। वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरूआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई के द्वारा प्रारंभ किया गया पश्चिम भारत में महिला शिक्षा की शुरूआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई, जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई ने शुरू किया था। उल्लेखनीय हैं कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8,000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम वुड्स डिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिये रोजगार की आवश्यकता को स्वीकार किया।

आजादी के बाद देश में शैक्षणिक स्थिति– स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफी कम थी, जिसे सरकार द्वारा नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरूष शिक्षा के सामानांतर पहुँचाया जाए। वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिये एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागु करने की सिफारिश की। वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की।

समाजिक बुराईयों की समप्ति के लिए महिला शिक्षा– महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराईयों जैसे–दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक–से–अधिक शिक्षित महिलाएँ देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वरा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है। इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाएँ जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है।

भारतीय समाज पुरूष प्रधान रहा है। महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है। और उन्हें घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है।

वर्तमान समय में महिला शिक्षा– 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं' की शुरूआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिये शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं।

बलिका शिक्षा के दावा देने के लिए सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी। इसके पहले महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी। यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Blumberg, R.L. and Dwarki, L., India's Educated Women: Options and Constraints, Hindustan Pulblishing Corporation, Bombay, 1980.
2. Channa, Karuna (Ed.), Socialication, Education and Women: Explorations in Gender Identity, Orient Longman, New Delhi, 1988.
3. Joshi, Pushpa, Gandhi on Women, Centre for women's Development Studies, New Delhi, 1988.

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*